3. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेलों में नारियल पवलियनों की स्थापना

बोर्ड नारियल उत्पादों के निदर्शन के ज़रिए बाजार विकास की संभावना वाले अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने की पहल करेगा तथा उद्यमियों और निर्यातकों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाएगा।

इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को अपने नारियल उत्पादों के लिए वैश्विक स्तर पर बाजार विकसित करने में सहायता प्रदान करना है, इसके लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना है, जहां बाजार विकास और उनके विशेष उत्पाद के लिए बाजार संवर्धन की संभावनाएं हैं।

क. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/बाजार संवर्धन कार्यक्रमों/क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्रता

1. कंपनी के पास नाविबो द्वारा जारी वैध आरसीएमसी होना चाहिए।
2. कंपनी भारत की विदेश व्यापार नीति या निर्यात और आयात व्यापार से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत अन्वेषण/आरोप/अभियोजन/निषेध/काली सूची में नहीं होनी चाहिए।
3. निर्यातक को उसी आयोजन में भाग लेने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकारों से किसी भी योजना के तहत किसी भी प्रकार कीवित्तीय सहायता नहीं लेनी चाहिए।
4. कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले *दो व्यक्तियों* (नियमित कर्मचारी/निदेशक/साझेदार/मालिक) को सहायता दी जाएगी। विदेशी नागरिकता वाले या विदेशी पासपोर्ट रखने वाले निर्यातकों को सहायता उपलब्ध नहीं होगी।
5. किसी कंपनी को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो आयोजनों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

ख. सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया:

1. प्रदर्शनी में सहभागिता के लिए प्रस्ताव *नाविबो वेबसाइट में व्यापार मेलों के ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए प्रत्येक व्यापार मेले/प्रदर्शनी के आवेदन प्रारूप* में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक मेले के लिए पंजीकरण लिंक सुविधादाता एजेंसियों से अंतिम पुष्टि प्राप्त होने पर पोर्टल में खोला जाएगा।
2. आवेदक को दस्तावेजों की प्रतिलिपियां संलग्न करनी चाहिए - आरसीएमसी, पिछले वर्ष के निर्यात ब्यौरे का विवरण, कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिनिधि(यों) की पासपोर्ट प्रतिलिपि
3. प्रतिभागियों को वीज़ा के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।
4. एक बार व्यापार मेले में सहभागिता के लिए बोर्ड द्वारा पंजीकृत और अनुमोदित होने के बाद कंपनी को मेले में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा; और अनुमोदित कंपनि के भाग न लेने की स्थिति में बोर्ड द्वारा बाद में आयोजित किसी भी देशीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सहभागिता के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. बोर्ड ऑनलाइन पंजीकरण से प्रतिभागियों में किसी भी जोड़/परिवर्तन पर विचार नहीं करेगा।

ग. योजना के तहत वित्तीय सहायता:

नाविबो निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए निम्नलिखित खर्चों के लिए सहायता प्रदान करेगा;

मद	**प्रस्तावित सहायता**
आवास	सहायता के रूप में लागत का 50%, अधिकतम 20,000 रु. प्रति व्यक्ति
स्थान किराया	सहायता के रूप में स्थान किराये का 50%, अधिकतम 1,00,000 रुपए। स्थान का किराया अधिकतम 9 वर्ग मीटर आकार के बूथ/स्टॉल या संबंधित भारतीय व्यापार निकायों (जैसे आईटीपीओ, एफआईईओ आदि) या मेला आयोजक द्वारा प्रदत्त न्यूनतम आकार के बूथ/स्टॉल के अधीन होगा। (बोर्ड द्वारा स्टॉल किराए पर ले जाने पर यह लागू नहीं होगा)।
हवाई भाड़ा	सहायता के रूप में वास्तविक इकॉनोमी श्रेणी हवाई भाड़े का 50%, *प्रति व्यक्ति 60,000 रुपए* तक सीमित (प्रत्येक सहभागी उद्यम से दो प्रतिनिधि)
प्रचार सामग्री का मुद्रण	सहायता के रूप में लागत का 50%, अधिकतम 25,000 रुपए प्रति कंपनी

कंपनियों को पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता टीएमओसी-बाज़ार संवर्धन से दी जाएगी।

घ. दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

1. कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्रतिपूर्ति के लिए दावा कार्यक्रम की समाप्ति के *30 दिनों के भीतर* प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यात्रा, आवास, प्रचार सामग्रियों का मुद्रण और स्थान किराये के व्यय की सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
2. कार्यक्रम में प्राप्त बाजार पहुंच, प्राप्त पूछताछ और पहचाने गए बाजारों के ब्यौरे सहित सहभागिताकी रिपोर्ट एवं सहभागिता की तस्वीरें प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. सहायता केवल प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जाएगी और वह भी दावे के समर्थन में प्रस्तुत बिलों/वाउचरों के सत्यापन के बाद। सभी दावों को इनवॉइस के मुकाबले भुगतान के सबूत द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए। किसी भी झूठे दावे के दर्ज होने की स्थिति में बोर्ड आवेदक को दी गई राशि को लागू ब्याज सहित वापस लेने का अधिकार रखता है।

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची
1. नाविबो द्वारा जारी आरसीएमसी की प्रतिलिपि
2. पिछले वर्ष के निर्यातित वस्तुओं का ब्यौरा
3. प्रतिनिधि के पासपोर्ट की प्रतिलिपि

अनुबंध -1

पिछले वर्ष के नारियल उत्पादों के उत्पादन/निर्यात का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

क्र.सं.	**निर्मित उत्पाद**	**स्थापित क्षमता (मेट्रिक टन में)**	**उत्पादित मात्रा (मेट्रिक टन में)**	**देशीय बिक्री (रुपए में)**	**निर्यात टर्नओवर (रुपए में)**

हस्ताक्षर

नाम:

स्थान:

पता:

दिनांक:

मोहर